

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मुख्यालय मध्यप्रदेश

परिपत्र-18

क्रमांक पॉच-17/ 4918 /प्रशि0(2)बी/2018, जबलपुर, दिनांक 19-06-2018

प्रायः देखने में आया है कि भरती एवं अन्य गोपनीय कार्य ऐसे लोगो से कराया जाता है जिनके द्वारा गोपनीयता भंग कर जानकारी अन्य लोगो तक पहुँचा दी जाती है जिसके कारण न केवल विभाग की छबि धूमिल होती है बल्कि कानूनी/न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ता है। भविष्य में ऐसी स्थिति निर्मित न हो इसलिए निर्णय लिया गया है कि भरती एवं अन्य गोपनीय कार्य अथवा उससे संबंधित टायपिंग कार्य केवल नियमित अधिकारी/कर्मचारी अथवा विश्वसनीय व्यक्ति से ही कराया जायें ताकि कार्य की गोपनीयता बनी रहे और बिना किसी विवाद के कार्य सम्पन्न हो सके।

समस्त सावधानियों के बाद भी यदि गोपनीयता भंग होती है तो तत्काल जाँच कर दोषी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायें कि संबंधित को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही उसके विरुद्ध सक्त अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायें।


(महान भारत सार) 19.6.18
डायरेक्टर जनरल

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं

आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

पृ० क्रमांक पॉच-17/ 4919 /प्रशि0(2)बी/2018, जबलपुर, दिनांक 19-06-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मध्यप्रदेश होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मंगेली जबलपुर।
 - 2- समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश।
 - 3- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर जनरल 19.6.18

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं

आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

आंतरिक:-

पी०एस० टू डी०जी०
पी०एस० टू ए०डी०जी०
पी०एस० टू ए०सी०जी०
पी०एस० टू एस०एस०ओ० (स्था०/प्रशि०/वित्त)
जे०एस०ओ० (स्था०/प्रशि०)/ए०ओ०/
ओ०एस०/आडीटर/रिकार्ड